बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–पीओपीएम०–21/2016 2357 /कृ0, पटना, दिनांक– 07-06-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 800.00 लाख (आठ करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 800.00 लाख (आठ करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के सभी जिलों में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में मिट्टी का निःशुल्क विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त पटना में केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, रेफरल लैब तथा 9 चलंत मिट्टी जाँच प्रयोगशाला सभी प्रमंडल के जिला मुख्यालयों में कार्यरत है।

3. योजना पर होने वाले 800.00 लाख रूपये व्यय का समेकित ब्यौरा अनुसूची–1 एवं बजट शीर्षवार ब्यौरा अनुसूची–2 पर संलग्न है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अपने से संबंधित कोषागार से स्वीकृत राशि के अधीन राशि की निकासी की जायेगी।

3.1. प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मियों को वेतन मद में मात्र उन्ही प्रयोगशालाओं में भुगतान किया जायेगा, जहाँ योजना मद में स्वीकृत पदों पर मानवबल पदस्थापित होगे। मृदा स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षणो में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता में प्रावधान किया जा रहा है।

3.2. आकस्मीकता मद से प्रति स्थाई प्रयोगशाला रु 25000/– एवं प्रति चलंत प्रयोगशाला रु 125000/– उपलब्ध कराई जायगी । इस राशि का उपयोग प्रयोगशाला के संचालन एवं क्रियाशीलन हेतु आवश्यक वस्तुओं, इंटरनेट डाटा एवं अन्य सामग्रीयों के क्रय एवं नौ चलंत मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के वाहन चालक की मानदेय/दैनिक मजदूरी पर व्यय किया जाना है। मानदेय के संबंध में कृषि निदेशक बिहार,पटना द्वारा दिए गये निर्देश का पालन किया जायगा। इसके अतिरिक्त चलंत मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के वाहन का रख रखाव भी इस मद से किया जा सकेगा। जिला मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बेतिया के प्रयोगशाला भवन स्थानांतरण पर व्यय के लिए इस मद से रु 100000/– राशि उपलब्ध कराई जायगी।

3.3. प्रशिक्षण मद में राज्य स्तर पर राशि केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला पटना को उपलब्ध कराई जानी है। इस राशि से विभिन्न मिट्टी विश्लेषको एवं कम्प्युटर आपरेटरों को नियमित रुप से उन्नमुखीकरण हेतु प्रशिक्षण दिया जायगा।

3.4. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद से प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले रसायन, ग्लासवेयर, प्लास्टिकवेयर, गैस अग्निशमन यंत्र, फिल्टर पेपर एवं अन्य छोटे–छोटे प्रयोगशाला सामग्रीयों के लिए स्थाई/चलंत प्रयोगशाला पर व्यय किया जाना है। इसी मद से प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होने वाले विधुत्त/जेनरेटर एवं चलंत मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के लिए इंघन आदि पर व्यय किया जाना है।

3.5. अनुरक्षण एवं मरम्मति मद से प्रयोगशाला सामग्रीयों/यंत्रो यथा AAS, computer, PH meter, EC meter ,Flam photometer, spectro photometer, shaker ,electronic balance ,N analyser, water distillation unit, electrical maitanance etc के वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मति किया जाना है।

3.6. व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाऐं मद से कार्यापालक सहायक/डाटा इंट्री आपरेटर के लिए निर्धारित मानदेय पर व्यय किया जाना है। सभी मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में साफ्टवेयर आधारित कार्य होने के कारण एक-एक कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री आपरेटर की सेवाऐं आवश्यकतानुसार ली जा सकती है।

3.7. मशीन एवं उपस्कर मद की राशि से प्रयोगशाला में आवश्यकता के आनुसार PH meter, EC meter ,Flam photometer, spectro photometer, shaker ,electronic balance etc क्रय हेतु व्यय किया जाना है।

3.8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत AAS , N Analyser, Minikit और digital burette के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इनमे AAS , N Analyser के क्रय हेतु निविदा की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार NPMSF योजना की राशि से भी तीन प्रयोगशाला में AAS क्रय की कारवाई पूर्ण की जानी है। ऐसे में यंत्र क्रय के लिए प्रावधानित राशि से वास्तविक मुल्य में अंतर की संभावना है। इस अंतर राशि को इस मद के अंशदान से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उनके मॉग पर उपलब्ध कराया जायगा। जिसे अभी फ्लैक्सी फंड में रखा जायेगा।

3.9. चलंत मिट्टी जाँच प्रयोगशाला सभी प्रमंडल मुख्यालय के जिला स्तरीय स्थाई प्रयोगशाला के साथ संबद्ध है। जिसके लिए आवंटन स्थाई प्रयोगशाला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को एक ही साथ उपलब्ध कराया जाना है।

4. बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला पटना के अतिरिक्त छः अन्य प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी एवं भभुआ में पूर्व से संचालित है। इन प्रयोगशालाओं में बीज अधिनियम के प्रावधानों के तहत बीज की जाँच की जाती है। अन्य 31 जिलों में भी इस वर्ष से प्रयोगशाला क्रियाशील करने की स्वीकृति दी जाती है। इनमें स्थाई पदों पर स्वीकृती प्राप्त है।

4.1. इन प्रयोगशालाओं के क्रियाशीलन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर आवश्यक वस्तुओं, इंटरनेट डाटा एवं अन्य सामग्रियों के क्रय के लिए फ्लैक्सी फण्ड से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

4.2. प्रशिक्षण मद में राज्य स्तर पर राशि राज्य स्तरीय प्रयोगशाला पटना को उपलब्ध कराई जानी है। इस राशि से विभिन्न बीज परीक्षण कर्मीयों को उन्नमुखीकरण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4.3. सामग्री एवं पूर्तियॉ मद से अंकुरण पत्र, वैक्स पेपर, सिलीका बालू,गलासवेयर, प्लास्टिक वेयर, फिल्टर पेपर, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले फर्नीचर आदि का क्रय किया जा सकेगा। इसी मद से प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होने वाले विधुत्त/जेनरेटर के लिए इंधन आदि पर व्यय किया जाना है।

4.4. अनुरक्षण एवं मरम्मति मद की राशि से प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले यंत्र एवं उपकरण यथा seed germinator, Moisture meter ,purity board , water purification system , computer आदि के रखरखाव एवं मरम्मति पर व्यय किया जाना है।

4.5. व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाऐं मद से कार्यापालक सहायक /डाटा इंट्री आपरेटर के लिए निर्धारित मानदेय पर व्यय किया जाना है। सभी सात बीज विशलेषण प्रयोगशाला में एक-एक कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री आपरेटर की सेवाऐं आवश्यकतानुसार ली जायगी। मशीन एवं उपस्कर मद की राशि से प्रयोगशाला में आवश्यकता के आनुसार seed grader, seed scarifier, seed germinator क्रय हेतु व्यय किया जाना है।

5. गुण नियंत्रण प्रयोगशाला पटना द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत रसायनिक एवं जैविक उर्वरक एवं रसायनिक कीटनाशी की जाँच की जाती है। इसके अतिरिक्त भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में भी प्रयोगशाला को क्रियाशील किया जाना है।

5.1. इन प्रयोगशाला के नवसृजित पदों पर पदस्थापित कर्मियों एवं पदस्थापित होने वाले कर्मियों के वेतन मद में तथा यात्रा भत्ता मद में प्रावधान किया गया है। कीटनाशी विश्लेषण एवं उर्वरक विश्लेषण संबंधित प्रशिक्षणो में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता में प्रावधान किया जा रहा है।

5.2. कार्यालय आकस्मीकता मद में उपलब्ध राशि का उपयोग प्रयोगशाला के संचालन, इंटरनेट डाटा एवं क्रियाशीलन हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं अन्य सामग्रीयों के क्रय पर किया जाना है। प्रशिक्षण मद में राज्य स्तर पर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला पटना को राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस राशि से उर्वरक विशलेषकों एवं कीटनाशी विशलेषकों को उन्नमुखीकरण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5.3. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद की राशि से CRM, internal reference standered, buffer solution, AAS standered chemicals & reagents, रसायन, ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर, एसीटिलीन, नाइट्रोजन, एल0पी0जी0 एवं हवा तथा अग्निशमन यंत्र आदि का क्रय किया जाना है। इसी मद से प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होने वाले विधुत्त/जेनरेटर के लिए इंधन आदि पर व्यय किया जायेगा।

5.4. अनुरक्षण एवं मरम्मति से HPLC, GLC, FTIR, Double stage water purification system, AAS, N analyser, muffle furnese, oven, spectrophotometer, flame photometer, BOD, Laminar air flow, autoclave , electrical maitanance etc की अनुरक्षण एवं मरम्मति पर व्यय किया जाना है।

5.5. व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाऐं मद से कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री आपरेटर के लिए निर्धारित मानदेय पर व्यय किया जाना है। मशीन एवं उपस्कर मद से प्रयोगशाला में वास्तविक आवश्यकतानुसार यंत्रों का क्रय किया जाना है।

6. क्रय एवं मरम्मति संबंधित समस्त कारवाई बिहार वित नियमावली 2005 के प्रावधान के अंतर्गत किए जायगें। योजना कार्यान्वयन की आवश्यकता के अनुसार प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।

7. योजना अंतर्गत अनुसूची–1 के सभी मदों में राज्य स्तर पर फ्लैक्सी फंड का प्रावधान किया गया है। नये प्रयोगशालाओं के क्रियाशील होने, कर्मियों के स्थानांतरण अथवा अन्य अनिवार्यता के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की माँग प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत कृषि निदेशक के अनुरोध पर आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

8. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना उदव्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशा निर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।

9. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष–004–अनुसंधान–मांग सं.–1 उपशीर्ष–0107–मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण विपत्र कोड–01-2415010040107		
0107. 01 .01 वेतन	3,26,18,000	3,26,18,000
0107. 11 .01 यात्रा व्यय	4,03,000	4,03,000
0107. 13 .01 कार्यालय व्यय	37,43,000	37,43,000
0107. 20 .03 प्रशिक्षण व्यय	2,49,000	2,49,000
0107. 21 .01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	89,14,000	89,14,000
0107. 27 .02 अनुरक्षण एवं मरम्मति	49,30,000	49,30,000
0107. 28 .04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवायें	64,13,000	64,13,000
0107. 52 .01 मशीने एवं उपस्कर– कार्यालय	91,30,000	91,30,000
01-2415010040107 (सामान्य श्रेणी) कुल	**6,64,00,000**	**6,64,00,000**

E:\ABHINAV\2017-18\Laboratary\sanlekh state plan lab17-18.docx

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं॰–1–उपशीर्ष–0107–मिट्टी बीज एवं उर्वरक योजना प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण विपत्र कोड–01-241501789010 7		
0107. 01 .01 वेतन	62,88,000	62,88,000
0107. 11 .01 यात्रा व्यय	78,000	78,000
0107. 13 .01 कार्यालय व्यय	7,21,000	7,21,000
0107. 20 .03 प्रशिक्षण व्यय	48,000	48,000
0107. 21 .01 सामग्री एवं पूर्तियॉं	17,18,000	17,18,000
0107. 27 .02 अनुरक्षण एवं मरम्मति	9,51,000	9,51,000
0107. 28 .04 व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवायें	12,36,000	12,36,000
0107. 52 .01 मशीने एवं उपस्कर– कार्यालय	17,60,000	17,60,000
01-241501789 0107(अ.जा. श्रेणी) कुल	**1,28,00,000**	**1,28,00,000**
मुख्य शीर्ष–2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघूशीर्ष–796–जनजीय क्षेत्र उप योजना मांग सं॰–1–उपशीर्ष–0105–मिट्टी बीज एवं उर्वरक योजना प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण, विपत्र कोड–01- 241501796010 5		
0105. 01 .01 वेतन	3,94,000	3,94,000
0105. 11 .01 यात्रा व्यय	4,000	4,000
0105. 13 .01 कार्यालय व्यय	45,000	45,000
0105. 20 .03 प्रशिक्षण व्यय	3,000	3,000
0105. 21 .01 सामग्री एवं पूर्तियॉं	1,08,000	1,08,000
0105. 27 .02 अनुरक्षण एवं मरम्मति	59,000	59,000
0105. 28 .04 व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवायें	77,000	77,000
0105. 52 .01 मशीने एवं उपस्कर– कार्यालय	1,10,000	1,10,000
01-241501796 0105 (अ.ज.जा. श्रेणी) कुल	**8,00,000**	**8,00,000**
सकल योग	**8,00,00,000**	**8,00,00,000**

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 एवं 2199 दिनांक 24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 27.04.2017 को प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–21/2016 के पृ0स0–38/टि० पर दिनांक–05.06.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.6.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–21/2016 2357 /कृ0, पटना, दिनांक 07-06 ,2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–21/2016 2357 /कृ0, पटना, दिनांक 07-06-2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।